प्रति,

सुश्री दीशा नागवंशी
अपर कलेक्टर साउथ भोपाल

विषयः **संज्ञेय अपराध से संबंधित मामले में शिकायत पत्र न लेने व आरोपियों के लाभार्थ एफआईआर न दर्ज करने के मामले में थाना प्रभारी अशोका गार्डन के खिलाफ आवश्यक धाराओं के तहत् कार्यवाही किये जाने बाबत्।**

महोदया,

13/12/16

मैं आदित्य शर्मा पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (उम्रः 52 वर्ष) पता एमआईजी -27, सेक्टर –डी, अयोध्या नगर, भोपाल में रहता हूँ, मैं मेरी माताजी एवं साथी भागीदार श्रीमती सरला शर्मा का 29-10-2014 को स्वर्गवास हो जाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एवं सोसायटी में पंजीकृत फर्म "मेसर्स कॉसमास पॉलीमर एण्ड प्रिंटर्स" पंजीकरण क्र. 01/01/01/00044/10 का एकमात्र जीवित भागीदार हूँ | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल के दस्तावेज़ों में उक्त पंजीकृत भागीदार फर्म "मेसर्स कॉसमास पॉलीमर एण्ड प्रिंटर्स" के नाम से औद्योगिक भूखंड क्र. 30B एवं 31 सेक्टर आई औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल में आवंटित है तथा विभाग में "कॉसमास पॉलीमर एण्ड प्रिंटर्स" का पंजीकरण क्र. ENTERPRENEURS 23322101046 PART II के रुप में दर्ज है | दिनांक 1-4-2001 से लागू भागीदारी अनुबंध के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल द्वारा उद्योग को आवंटित औद्योगिक भूखंड क्र. 30B एवं 31 सेक्टर आई औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल में मेरा नाम 25-05-2010 को भागीदार के रुप में पंजीकृत करवाया गया था, जिसके अनुसार मैं जिव्याउके के नियमानुसार उक्त आवंटित भूखंड के एक तिहाई हिस्से का निर्विवाद मालिक हूँ |

1. मेरे उक्त प्रिंटिंग उद्योग एवं उद्योग को आवंटित भूखंड पर अवैधानिक रुप से अपराधी कृष्णरंजन व मेघरत्न ने कब्जा किया हुआ है | मेरे लिखित निवेदन पर मेरे उद्योग परिसर को आरोपियों के अवैधानिक कब्जे से मुक्त कराने के लिये महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल द्वारा थाना प्रभारी थाना अशोका गार्डन, पुलिस अधीक्षक भोपाल एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को विभागीय पत्र भेजे गये हैं, कि इन अनाधिकृत कब्जेधारियों से कॉसमास को आवंटित उद्योग परिसर को खाली करवाया जाय, मगर यह कार्यवाही अपनी गति चल रही है |

2. मैंने पत्रों द्वारा और मौखिक रुप से थाना अशोका गार्डन और पुलिस अधिकारियों को पहले भी आगाह किया था कि ये अपराधी मेरी कंपनी कॉसमास के नाम का इस्तेमाल करके व्यापार कर सकते हैं या कर रहे हैं, कॉसमास की संपत्ति का उपयोग कर कंपनी भी चला रहे हैं, जहाँ अगर किसी मजदूर/कर्मचारी की दुर्घटनावश मौत हो जाती है/घायल हो जाता है तो कॉसमास फर्म का एकमात्र जीवित वैधानिक मालिक होने के कारण मेरे बेगुनाह होने के बावजूद मैं दोषी करार दिया जाऊँगा तथा उदाहरण के रुप में पेटलवाद हादसे का जिक्र भी किया था | मगर थाना अशोका गार्डन द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे अपराधियों द्वारा की जा रही गैर कानूनी व अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लग सके |

3. अभी कुछ समय पूर्व ही मुझे अपराधियों द्वारा बनवाई गई ऐसी पार्टनरशिप डीड का दस्तावेज़ प्राप्त हुआ है, जिसे मेरी कंपनी कॉसमास के नाम व पता : 30 B & 31, सेक्टर आई, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्द्पुरा, भोपाल के नाम से बनाया गया है व उसे नोटराइज भी करवाया गया है | जबकि मैंने किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया कि वो मेरी फर्म कॉसमास के नाम की पार्टनरशिप डीड बनाते हुए कोई फर्म बनायें | अपराधियों द्वारा बनाई गई पार्टनरशिप डीड व किये जा रहे व्यापार से मेरी कंपनी कॉसमास की साख को नुकसान होने के साथ-साथ मुझे लाखों रुपये का हर्जाना भरना पड़ सकता है और किसी क्राईम या दुर्घटना के होने पर जेल भी जाना पड़ सकता है, जो कॉसमास के नाम पर अपराधियों द्वारा किये जा रहे लेन-देन और क्राईम की वजह से होगा | अपराधियों द्वारा फर्जीवाड़ा करने के उद्देश्य से बनवाई पार्टनरशिप डीड का दस्तावेज़ एक संज्ञेय अपराध है एवं जिसमें अपराधियों को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है | मैं इसी संज्ञेय अपराध की लिखित जानकारी देते हुए और एफआईआर दर्ज करने का आवेदन लेकर थाना अशोका गार्डन को देने गया था | लेकिन थाने में 2 घंटे बैठाने के बाद भी उक्त फर्जीवाड़े से संबंधित संज्ञेय अपराध का मेरा आवेदन पत्र नहीं लिया गया और यह कहकर वापस कर दिया गया कि आपका मामला विचाराधीन है, जबकि इस संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी मामला किसी न्यायालय में नहीं है |

4. इस संज्ञेय अपराध को रोकने व अपराधियों को सजा दिलवाने का जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने मजबूरी में भ्रष्टाचार विरुध्द जागृति अभियान और भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ संस्था को उक्त संज्ञेय अपराध के मामले में थाने द्वारा 6-12-2016 आवेदन पत्र न लेने की शिकायत की, जिस पर संस्था ने श्री मनीष मिश्र से बातचीत करने की कोशिश की, मगर थाना प्रभारी मनीष मिश्र ने बातचीत नहीं की और मामले को घुमाने व गुमराह करने की कोशिश की | संस्था ने थाना प्रभारी मनीष मिश्र द्वारा मेरे विधी द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन होने पर मेरी 6-12-2016 की संज्ञेय अपराध की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्यवाही करने के लिये उनकी भृष्टता की जानकारी देते हुए उच्चाधिकारियों और आमजनों को सोशल मीडिया पर संदेश भेजे |

5. थाना प्रभारी श्री मनीष मिश्र ने मुझे दिनांक 9-12-2016 को श्री लक्ष्मीनारायण से फोन लगवाकर बहाने से थाने बुलवाया,(जबकि वो पूर्व में ही श्री लक्ष्मीनारायण के माध्यम से ही जिव्याउके द्वारा समय पर जानकारी प्राप्त हो जाने के सद्भावनापूर्ण उद्देश्य से मेरे हाथों भेजे पत्र को लेने से इनकार कर चुके थे तथा उक्त जानकारी मैं जिव्याउके प्रतिनिधी को दे चुका था) मैं यह सोचकर थाने गया कि यदि कोई गलतफहमी हो गई है तो वो दूर हो जाये और थाना प्रभारी मेरे दिनांक 6-12-2016 के आवेदन की पावती देकर संज्ञेय अपराध पर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही शुरु कर सकें, लेकिन श्री मनीष मिश्र ने 6-12-2016 के आवेदन, "संज्ञेय अपराध की शिकायत" के मूल मुद्दे पर चर्चा करने की जगह मुझे बताया कि संस्था (उक्त संस्था के बारे में मैं उपर लिखे क्रमांक 4 में उल्लेख कर चुका हूँ) द्वारा भेजे मैसेज पर उच्चाधिकारियों द्वारा श्री मनीष मिश्र से जवाब-तलब किया गया है, यह जानने के बाद मैंने इस उम्मीद में की उनका सहयोग करने से मुझे भी उनसे फर्जीवाड़ा के संज्ञेय अपराध पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करवाने में सहयोग मिलेगा, उनके द्वारा चाही सारी जानकारी देते हुए पूरा सहयोग दिया | लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने थाना अशोका गार्डन के उनके केबिन में मुझे और मेरी पत्नी को जबरदस्ती रोकते हुए शाम 7 बजे

से रात 9 बजे तक भारी मानसिक संत्रास दिया, हमारी बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग की और थाने के स्टाफ को बुलाकर मजबूरी और अपमान के घूंट पिलाते हुए उनके द्वारा निर्मित हमारी असहाय अवस्था की थाने के ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से विडियो रिकार्डिंग करवाई। जिसकी वजह से हुई मानहानि, प्रताड़ना और हमारी असहाय अवस्था के बनाये पंचनामें एवं उसकी विडियो रिकार्डिंग पर भविष्य में कार्यवाही के लिये आवेदक और उसकी पत्नी अपना विधिक एवं सामाजिक अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

अतः मैं आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि अपराधियों के लाभार्थ थाना प्रभारी, थाना अशोका गार्डन द्वारा आवेदन न लेने के लिये गये फैसले के खिलाफ जाँच बैठाते हुए उचित कार्यवाही करें।

आदित्य शर्मा

भोपाल : 12-12-2016

कॉसमास पॉलीमर एण्ड प्रिंटर्स
(एकमात्र जीवित भागीदार)
30-B एवं 31, सेक्टर आई, औद्योगिक क्षेत्र,
गोविन्दपुरा, भोपाल -23, मो. : 9993569766

संलग्न :

i. श्री मनीष मिश्रा थाना प्रभारी अशोका गार्डन को उनके ईमेल पर दिनांक 6-12-2016 को भेजे ईमेल का स्क्रीन शॉट और रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 7-12-2016 को भेजे आवेदन की रसीद की कॉपी।
ii. श्री मनीष मिश्रा थाना प्रभारी अशोका गार्डन को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 7-12-2016 को भेजा आवेदन।